उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 23 1-15 दिसंबर 2025 ₹ 20/-

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर विवाद

- उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान
- ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादियों द्वारा खून की होली
- सऊदी अरब में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव से अमेरिका चिंतित
- आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को 14 साल की जेल

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर विवाद 04
एनसीईआरटी की किताब में महमूद गजनवी से जुड़े अध्याय पर विवाद 08
उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान 10
उत्तराखंड में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर रोक 12
मुंबई के कॉलेज में बुर्का पर प्रतिबंध 14

विश्व

ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादियों द्वारा खून की होली 16
आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को 14 साल की जेल 19
ऑस्ट्रिया में स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध 21
ब्रिटेन में इस्लाम में धर्मांतरण में भारी वृद्धि 21
जापान सरकार का कब्रिस्तानों के लिए जमीन देने से इनकार 22

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव से अमेरिका चिंतित 23
यमन में फिर भड़की गृहयुद्ध की ज्वाला 25
ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की गिरफ्तारी 27
सीरिया द्वारा इजरायल को धमकी 28
सऊदी अरब में 170 पाकिस्तानियों को फांसी 29

सारांश

तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है। उर्दू मीडिया ने मोटे तौर पर इसका विरोध किया है। उर्दू अखबारों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का आगामी विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है, इसलिए उसके इशारे पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण के मुद्दे को हवा में उछाला है। इन अखबारों का यह भी मत है कि इस मस्जिद के निर्माण से मुसलमानों को कोई लाभ नहीं होगा। कुछ अखबारों ने सवाल उठाया है कि 300 करोड़ रुपये की लागत से इस मस्जिद का निर्माण करने की जो योजना बनाई गई है वह धनराशि कहां से आएगी? खास बात यह है कि मस्जिद के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों के उलेमा आए थे। इन उलेमाओं ने कुरान की तिलावत (पाठ) के बाद मस्जिद की बुनियाद रखी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने राज्य के सभी नगर निगमों और नगर परिषदों को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय खुफिया इकाइयों (एलआईयू) को तब्लीगी जमात की गतिविधियों में भाग लेने वाले विदेशियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया था। हाल ही में फिलीपींस का एक नागरिक मोहम्मद एरॉन सरिप टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। वह लखनऊ की मुस्लिम शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवतुल उलमा में रूका था। इस संस्थान के प्राचार्य और अन्य अधिकारियों ने इस विदेशी व्यक्ति के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं दी। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर इस संस्थान के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले किसी भी सरकार ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा पर मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं की थी।

हाल ही में भारतीय मूल के इस्लामिक आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई। मरने वालों में अधिकतर यहूदी थे। कहा जाता है कि हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम पिता–पुत्र थे। वे मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले थे। जांच में पता चला है कि बॉन्डी बीच पर हमला करने से कुछ दिन पहले दोनों हमलावरों ने फिलीपींस की यात्रा की थी और वहां पर खूंखार इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के गुप्त प्रशिक्षण शिविरों में आतंकवादी हमले का प्रशिक्षण लिया था।

पाकिस्तान में प्रारंभ से ही सत्ता की बागडोर सेना के हाथ में रही है। देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए सेना के विभिन्न गुटों में आपसी खींचतान चलती रहती है। हाल ही में एक सैन्य अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को राजनीतिक दलों के साथ सांठगांठ करके सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रचने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि इस फैसले के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। फैज हमीद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। इमरान खान भ्रष्टाचार के कई मामलों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।

चीन और रूस ने सऊदी अरब में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इससे अमेरिका के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। अभी तक इस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व रहा है। हाल ही में चीन और रूस के प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की है। इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब सरकार के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने 2023 में पश्चिम एशिया में विशेष रुचि लेनी शुरू की थी। तब उसकी मध्यस्थता से दो पुराने शत्रु देशों ईरान और सऊदी अरब में कई मुद्दों पर सहमति बनी थी।

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर विवाद

उर्दू के अधिकांश अखबारों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

उर्दू टाइम्स (7 दिसंबर) ने कहा है कि इस अवसर पर हजारों की भीड़ जमा थी और बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिराए जाने की 33वीं बरसी पर किया गया था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने की घोषणा के कारण पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। इसे देखते हुए प्रशासन को भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात करना पड़ा। मस्जिद की बुनियाद रखने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य के विभिन्न इलाकों से हजारों लोग पहुंचे थे। इस दौरान कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था। मस्जिद निर्माण के लिए हजारों लोग अपने सिर पर ईंटें और अन्य सामग्री लाए थे। इस समारोह के आयोजक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि इस मस्जिद का निर्माण अयोध्या की बाबरी मस्जिद के तर्ज पर किया जाएगा। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में बढ़-चढ़कर अपना हिस्सा डालेंगे। कबीर ने दावा किया कि मस्जिद बनाने के लिए मेरे पास 25 बीघा जमीन है, लेकिन प्रशासन ने हमें उस भूमि पर मस्जिद का निर्माण करने से रोक दिया है। हमें बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन नहीं चाहिए। मैं सरकार से एक पैसा भी नहीं लूंगा। मस्जिद बनाने के लिए एक व्यक्ति ने हमें 80 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है। समाचारपत्र ने लिखा है कि राज्य के विभिन्न इलाकों से मस्जिद निर्माण की सामग्री लेकर सैकड़ों ट्रैक्टर मौके पर पहुंचे थे।

हमारा समाज (7 दिसंबर) ने दावा किया है कि इस समारोह की शुरुआत उलेमा द्वारा कुरान की तिलावत (पाठ) से हुई। इस अवसर पर हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके इस

कार्यक्रम को रद्द करने के लिए साजिश रच रहे थे। इस संबंध में उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, अदालत ने इस कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार को सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कबीर ने दावा किया कि 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में कम-से-कम 90 मुस्लिम उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने का पूरा अधिकार है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। दूसरी ओर, विपक्षी पार्टी भाजपा इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे टीएमसी का ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली है। पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम की अगर कोई ईट रखी गई तो भाजपा उसे उखाड़ कर फेंक देगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर मस्जिद निर्माण के बहाने देश में दंगा करवाना चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं एक मुसलमान के तौर पर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किस बात की डर है? यह तमाशा नहीं चलेगा। मसूद ने कहा कि अगर आप मस्जिद बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं, लेकिन उसका नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए जिससे समाज में नफरत की भावना पैदा हो।

एतेमाद (7 दिसंबर) के अनुसार हुमायूं कबीर ने कहा कि इस समारोह में भाग लेने के लिए सऊदी अरब के उलेमा आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 33 साल पहले मुसलमानों को एक गहरा जख्म दिया गया था। हम उस पर मरहम लगा रहे हैं। वहीं, भाजपा ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले समाज को विभाजित कर रही है। जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि इस मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है और हुमायूं कबीर एक खास पार्टी के एजेंट हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (7 दिसंबर) ने कहा है कि समारोह स्थल पर लगभग 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच बनाया गया था। इस मंच पर लगभग 400 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था

की गई थी। इस समारोह में भाग लेने के लिए सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों से उलेमा आए थे। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं और राज्य में जानबूझकर अशांति फैलाई जा रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम ने कहा है कि हमारी पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। दूसरी ओर, हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वे नई पार्टी बनाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ चुनावी समझौता करेंगे। जबकि ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ चुनावी समझौता करने की संभावना से इनकार किया है।

उर्दू टाइम्स (8 दिसंबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का काम तेजी से शुरू हो गया है। एक ओर, हुमायूं कबीर राज्य की 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के वोट बटोरने के लिए मैदान में आ गए हैं। जबकि दूसरी ओर, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने भी भाग लिया। खास बात यह है कि इस सामूहिक गीता पाठ में भाजपा नेताओं के अतिरिक्त कार्तिक महाराज, साध्वी ऋतंभरा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई हिंदूवादी नेता भी शामिल हुए। इस समारोह का आयोजन सनातन संस्कृति संसद द्वारा किया गया। यह संस्था विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संगठनों का एक मंच है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने की। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

हमारा समाज (10 दिसंबर) ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद को नोटों से भरे 11 बक्से दान में मिले हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि वे भाजपा द्वारा गीता पाठ के जवाब में फरवरी महीने में एक लाख लोगों के साथ कुरान की तिलावत करेंगे। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

उर्दू टाइम्स (13 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर एक खतरनाक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। अगर हुमायूं कबीर एक आम मस्जिद का निर्माण करते या अपनी पार्टी के अनुशासन में रहते तो यह हंगामा न होता, लेकिन बाबर के नाम पर एक नई मस्जिद के निर्माण के कारण कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि हुमायूं कबीर इस मामले में तीन दशक तक क्यों चुप रहे? क्या उन्होंने यह कदम धार्मिक भावना के तहत या किसी अन्य के इशारे पर उठाया है? हुमायूं कबीर का कहना है कि यह 300 करोड़ रुपये की परियोजना है। इसमें मस्जिद के साथ-साथ इस्लामिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज

मस्जिद के नाम पर मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए एक नया तरीका चुना है। समाचारपत्र ने कहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण करना सराहनीय है, लेकिन जो व्यक्ति यह काम कर रहा है वह स्वयं भाजपा में रह चुका है। सवाल यह उठता है कि क्या हुमायूं कबीर भाजपा के इशारे पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं?

और अतिथि गृह भी होंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद हुमायूं कबीर के राजनीतिक बयान से साफ है कि वे भाजपा के एजेंडे पर चल रहे हैं और समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

कौमी तंजीम (8 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर वही खेल खेल रहे हैं, जो सालों पहले सैयद शहाबुद्दीन ने खेला था। शहाबुद्दीन द्वारा आयोजित रैली ने ही हिंदू नेताओं को धर्म का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। समाचारपत्र ने यह भी सवाल उठाया है कि इस समारोह पर एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की गई। यह धनराशि कहां से आई? समारोह में आमंत्रित 40 हजार मेहमानों के लिए शाही बिरयानी तैयार की गई। इसके अतिरिक्त 20 हजार स्थानीय लोगों के लिए भी बिरयानी तैयार की गई। आखिर बाबर के नाम पर फिर से एक मस्जिद बनाकर हुमायूं कबीर क्या साबित करना चाहते हैं? यह अच्छा होता कि इस मस्जिद के लिए इकट्ठा की जाने वाली 300 करोड़ रुपये की धनराशि से मुसलमानों के लिए कोई उद्योग स्थापित होता ताकि लोगों को रोजगार मिल पाता।

उर्दू टाइम्स (10 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हुमायूं कबीर कई बार राजनीतिक रंग बदल चुके हैं। अब उन्होंने बाबरी

हिंदुस्तान (8 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के इस कार्यक्रम को दो नजरिए से देखा जा रहा है। पहला नजरिया यह है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का फैसला नेक नीयत और धार्मिक पहचान को जागृत करने के लिए किया गया है ताकि मुस्लिम विरोधी ताकतों को यह बताया जा सके कि अब मुसलमान अपने अधिकारों के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अगर अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया तो उसका नवनिर्माण मुर्शिदाबाद में किया जा रहा है। वहीं, दूसरा नजरिया यह है कि हुमायूं कबीर ने यह कार्यक्रम भाजपा के इशारे पर शुरू किया है, क्योंकि वह आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि देश के मुसलमान इस कार्यक्रम के बारे में सतर्क रहें।

हमारा समाज (11 दिसंबर) ने आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर ने भाजपा के इशारे पर बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है। भाजपा किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल का आगामी विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए वह बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उछालकर राज्य का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। यही

एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए वह ममता बनर्जी को चुनाव में हरा सकती है। खुशी की बात यह है कि हुमायूं कबीर के तेवरों को देखते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह ममता बनर्जी की राजनीतिक दूरदर्शिता है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के इस आरोप में दम है कि यह सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। इससे राज्य के आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा।

अखबार-ए-मशरिक (10 दिसंबर) ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से अपील की है कि वे बाबरी मस्जिद के निर्माण की साजिश का शिकार न हों। समाचारपत्र ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के बदले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को धन्नीपुर गांव में जो पांच एकड़ जमीन दी थी वहां पर मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? इस मुद्दे पर हुमायूं कबीर जैसे लोग क्यों चुप हैं?

इंकलाब (7 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हुमायूं कबीर किसी अन्य व्यक्ति के इशारे पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का खेल खेल रहे हैं। इससे मुसलमानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ख्याल क्यों आया? बाबर कभी भी पश्चिम बंगाल नहीं गया और न ही वहां पर इस नाम की कोई मस्जिद मौजूद थी। यह सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हर हाल में सत्ता में आना चाहती है। ऐसे में धार्मिक भावनाओं को भड़काना, पुराने विवाद को नए ढंग से पेश करना और मुसलमानों को एक नए प्रयोग में धकेल देना कहां तक उचित है? इसे देखते हुए हुमायूं कबीर की मंशा पर सवाल खड़ा होता है।

एनसीईआरटी की किताब में महमूद गजनवी से जुड़े अध्याय पर विवाद

औरंगाबाद टाइम्स (8 दिसंबर) ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सातवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में महमूद गजनवी के भारत पर हमलों, हिंदू मंदिरों को तोड़ने और इस्लाम के प्रचार का विवरण प्रस्तुत किया है। इससे समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की संभावना है। समाचारपत्र ने कहा है कि एनसीईआरटी की पुरानी किताब में महमूद गजनवी के हमलों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। अब नई किताब में महमूद गजनवी द्वारा भारत में की गई तबाही, लूटमार और हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इस सरकारी संस्थान ने जो नया रुख अपनाया है उसके पीछे की मंशा साफ है।

समाचारपत्र ने कहा है कि एनसीईआरटी ने पिछले साल आठवीं कक्षा की किताब में दिल्ली सल्तनत से जुड़े अध्याय में भी यही रुख अपनाया था। उसमें भी दिल्ली के सुल्तानों द्वारा शांति

स्थापना और सुशासन के बजाय उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों, विजयी अभियानों और इस दौरान हुई तबाही को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, विश्वभर की सरकारों और इतिहासकारों का यह प्रयास होता है कि किसी भी शासक के काले पक्ष को विस्तृत रूप से पेश न किया जाए। यह सर्वविदित है कि पुराने इतिहास को न तो मिटाया जा सकता है और न ही उस पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन आज उसके लिए किसी को दोषी ठहराना सरासर गलत होगा। सातवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुरानी किताब में महमूद गजनवी पर सिर्फ एक पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ में बताया गया था कि राजाओं ने भव्य मंदिरों का निर्माण करके अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन किया था। जबकि विदेशी आक्रांताओं ने दौलत के लालच में इन धनवान मंदिरों को अपना निशाना बनाया था।

समाचारपत्र ने कहा है कि नई किताब में महमूद गजनवी पर छह पृष्ठों का एक विस्तृत अध्याय है। इस अध्याय में कई चित्र और बॉक्स भी शामिल किए गए हैं। इसमें विस्तार से बताया गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया था। इस नई किताब में गजनवी द्वारा मथुरा के मंदिरों में लूटपाट, कन्नौज के मंदिरों और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। किताब के अनुसार वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1950 में किया गया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। इसमें यह भी उल्लेख है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण का पूरा खर्च जनता ने वहन किया था।

किताब में यह भी बताया गया है कि गजनवी के हमलों में हजारों लोगों को मारा गया। हजारों लोगों को कैदी बनाकर उन्हें मध्य एशिया की गुलाम मंडियों में बेच दिया गया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। गजनवी के दरबारी इतिहासकार अल-उतबी ने अपनी किताब में लिखा है कि महमूद गजनवी ने इस्लाम का जबरन प्रचार करने के लिए 'काफिरों' का कत्लेआम किया। हिंदुओं के घरों को लूटा और बच्चों को गुलाम बनाया। उसने मंदिरों को तबाह किया और वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। एक अन्य लेखक अल-बेरूनी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का उल्लेख करते हुए कहा है कि महमूद गजनवी इसे तोड़कर अपने साथ गजनी ले गया। इसके बाद उसने इस शिवलिंग को वहां की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। आज भी नमाजी मस्जिद में दाखिल होते हुए इस शिवलिंग को अपने पैरों तले रौंदते हैं। यह पूरा विवरण एनसीईआरटी की पुरानी किताब में नहीं था।

इस किताब में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले का भी उल्लेख है। सातवीं कक्षा की किताब में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। फारसी की किताब का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अल्लाह के निर्देश का पालन करते हुए इस्लाम के विस्तार के लिए 'काफिरों' के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हिंदुओं, बौद्धों व जैनियों को इस्लाम में परिवर्तित किया। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि इस किताब में जो सामग्री

प्रस्तुत की गई है वह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। नई पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, 2023 के अनुसार तैयार की गई है। इससे पहले सातवीं कक्षा की इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की तीन अलग-अलग किताबें थीं। अब इस पूरी सामग्री को एक किताब में इकट्ठा कर दिया गया है। नई किताब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरे देश के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी।

सहाफत (13 दिसंबर) के अनुसार दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीईआरटी की सातवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान किताब में महमूद गजनवी के बारे में जो अध्याय शामिल किया गया है, वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इतिहास के विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे छात्रों के दिमाग में नफरत की भावना पैदा हो। उन्होंने मुर्शिदाबाद में बनाई जाने वाली मस्जिद का नाम 'मदीना मस्जिद' रखने का सुझाव दिया।

अखबार-ए-मशरिक (9 दिसंबर) ने एनसीईआरटी की इस किताब की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे छात्रों में एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत का भाव पैदा होगा। यह राष्ट्रहित में नहीं है। सत्तारूढ़ दल जानबूझकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान

सहाफत (15 दिसंबर) के अनुसार देश के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ के प्राचार्य समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा नदवा कॉलेज परिसर में एक विदेशी नागरिक के ठहरने और तब्लीगी जमात से जुड़ी गतिविधियों की सूचना समय पर न देने के आरोप में दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), लखनऊ की सूचना के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार फिलीपींस का एक नागरिक मोहम्मद एरॉन सरिप दिल्ली आने के बाद 30 नवंबर से 2

दिसंबर तक लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा परिसर में रूका था। जांच में पता चला है कि यह विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उसने यहां आकर तब्लीगी जमात की गतिविधियों में भाग लिया। दारुल उलूम नदवा के प्राचार्य और अन्य अधिकारियों ने इस संदर्भ में राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं दी थी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आने वाला विदेशी नागरिक किसी धार्मिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता है। अगर वह किसी के पास ठहरता है तो उसके बारे में राज्य सरकार को सूचना देना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि विदेशी अधिनियम के अनुसार अगर कोई विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता है तो सरकार उसे ब्लैक लिस्ट करके देश से निष्कासित कर सकती है। इसके साथ ही भविष्य में उसके भारत आने पर भी प्रतिबंध लगा सकती है।

समाचारपत्र के अनुसार लखनऊ पुलिस ने एक सप्ताह तक इस मामले की जांच की। जांच में पता चला कि नदवा कॉलेज के प्राचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, उप-रजिस्ट्रार हारून रशीद, होस्टल वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी और मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने जानबूझकर विदेशी नागरिक के कॉलेज परिसर में ठहरने की सूचना स्थानीय थाने और एफआरआरओ को नहीं दी। इसके बाद कॉलेज अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हसनगंज पुलिस थाने के प्रभारी अमरनाथ वर्मा ने संवाददाता को बताया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सहाफत (8 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत राज्यभर की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस संदर्भ में राज्य के पुलिस अधीक्षकों की निगरानी में सर्च टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग अवैध रूप से राज्य के विभिन्न शहरों में रह रहे थे।

इंकलाब (4 दिसंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की खोज का अभियान शुरू कर दिया गया है। राज्य के सभी नगर निगमों और नगर परिषदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों की सूची तैयार करें। प्रत्येक नगर निगम को उसके क्षेत्र में रहने वाले विदेशी घुसपैठियों के बारे में जिला कप्तान और जिलाधिकारी को तुरंत सूचना देनी होगी ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंडल में हिरासत केंद्र बनाने का भी निर्देश दिया है। घुसपैठियों को इन्हीं केंद्रों में रखा जाएगा। सरकारी एजेंसियां संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान से संबंधित अन्य दस्तावेजों

की जांच कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिरासत में लिए गए घुसपैठियों की जांच करके उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाएगा।

इंकलाब (11 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ अभियान से देश के मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में अवैध रूप से रहने वाले सभी घुसपैठियों को देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। सरकार के इस अभियान से नागरिकों में असंतोष पैदा हो गया है। एक बड़ी आबादी को यह महसूस हो रहा है कि उनके कागजात के अधूरा होने या न होने के कारण प्रशासन कहीं उन्हें विदेशी करार न दे दे और उन्हें जबरन भारत से निष्कासित न कर दे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ बताई जाती है। इनमें से बड़ी आबादी पढ़ी-लिखी नहीं है। उनके पास न तो जन्म प्रमाण पत्र हैं और न ही संपत्ति या आवास प्रमाण पत्र। सरकार इन्हीं कागजातों की मांग कर रही हैं। जिन लोगों का वास्ता प्रशासन से पड़ता है वे जानते हैं कि आम आदमी के लिए मान्यता प्राप्त पहचान पत्र जुटा पाना बेहद कठिन है। इस माहौल के कारण लाखों परिवारों के लिए कठिनाई पैदा हो सकती है।

यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि क्या यह अभियान एक विशेष वर्ग को निशाना बनाने के लिए तो नहीं चलाया जा रहा है? चाहे यह आरोप सही हो या गलत, लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी होती है और सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को यह निर्देश दे कि वे किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर निशाना न बनाएं और न ही उसे परेशान करें। घुसपैठियों की पहचान की जाए, लेकिन इसके लिए किसी निर्दोष नागरिक को निशाना न बनाया जाए। जनता और सरकार के बीच विश्वास की भावना को बरकरार रखना बेहद जरूरी है। यह किसी भी राज्य की स्थिरता का आधार है। अगर यह भरोसा टूट गया तो कोई भी प्रशासकीय कदम कारगर नहीं होगा और न ही सामाजिक समरसता ही बरकरार रह पाएगी। ■

उत्तराखंड में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर रोक

इंकलाब (18 दिसंबर) के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देने के बजाय पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किया था। इस कानून में प्रलोभन और विवाह का लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों के लिए उम्रकैद की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में अगस्त 2025 में एक संशोधित विधेयक

विधानसभा से पारित किया गया था। इसके बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। बताया जाता है कि इस विधेयक के प्रारूप में कुछ कानूनी और तकनीकी खामियां पाई गई हैं, इसलिए राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड सरकार के सामने अब दो विकल्प है। पहला, यदि सरकार इस कानून को शीघ्र लागू करना चाहती है तो अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि संशोधित विधेयक को अगले विधानसभा सत्र में दोबारा पेश करके इसे पारित कराया जाए और फिर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाए। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया था। इसके बाद 2022 में इस कानून में संशोधन करके इसे और सख्त बना दिया गया था। सरकार का यह प्रयास है कि अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए सजा और जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी की जाए।

हाल ही में जो संशोधित विधेयक पारित किया गया था उसमें धोखे से, जबरन और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने पर सजा की अवधि तीन से 10 साल कर दी गई थी, जो पहले दो से सात साल थी। इसके अतिरिक्त अब धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। इससे पहले सिर्फ संबंधित व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदारों को ही मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति थी। इस नए कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस संबंध में अगर दोबारा मुकदमा दर्ज किया जाता है तो जिलाधिकारी उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर सकता है। इस कानून में विवाह का झांसा देकर, साजिशन, नाबालिगों की तस्करी और आदिवासियों का धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम 20 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दोषी को 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

सहाफत (10 दिसंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के अवैध धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के खिलाफ कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने

अदालत को बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं पहले से ही अदालत में विचाराधीन हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस याचिका को अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।

पीठ ने यह भी कहा कि एम हुजैफा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, दशरथ कुमार हिनुनिया बनाम राजस्थान राज्य, पीयूसीएल बनाम राजस्थान राज्य और जयपुर कैथोलिक वेल्फेयर सोसाइटी बनाम राजस्थान राज्य जैसी कई दूसरी याचिकाएं पहले से ही न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष लंबित हैं, इसलिए सीबीसीआई द्वारा दायर इस याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ ही संलग्न कर दिया जाए।

गौरतलब है कि इन याचिकाओं में राजस्थान सरकार द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 5(6), 10(3), 12 और 13 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का हनन है। यह संविधान की भावना के बिल्कुल विपरीत है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस कानून की धारा 5(6) एक राजपत्रित अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह जांच करने के बाद सामूहिक धर्मांतरण कराने के आरोपी की संपत्ति को जब्त कर ले। इसके अतिरिक्त इस कानून की धारा 13 में प्रशासन को अवैध धर्मांतरण कराने वाले संस्थाओं को ध्वस्त करने का अधिकार दिया गया है। इस कानून की धारा 10(3) के तहत सरकार को अवैध धर्मांतरण कराने वाले संस्थाओं का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। इसके साथ ही सरकार को इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने और इन्हें विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी रोक लगाने का अधिकार है। याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्मांतरण कानून की ये धाराएं भारतीय संविधान की धारा 14, 21, 22 और 300(ए) के खिलाफ हैं, क्योंकि इस कानून को अदालत में चुनौती देने पर भी रोक लगा दी गई है। यह संविधान और कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत के खिलाफ है। ■

मुंबई के कॉलेज में बुर्का पर प्रतिबंध

अवधनामा (5 दिसंबर) के अनुसार महाराष्ट्र में बुर्का पर प्रतिबंध का मुद्दा फिर से गरम हो गया है। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज प्रशासन ने एक आदेश जारी करके बुर्का और नकाब पहनकर आने वाली छात्राओं के कॉलेज परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध इसलिए लगाया है, क्योंकि इससे एक विशेष संप्रदाय से संबंधित छात्राओं की पहचान होती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़ी महिलाओं ने प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से मांग की कि इस आदेश को फौरन रद्द किया जाए। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कॉलेज

प्रशासन ने बुर्का और नकाब पहनकर आने वाली छात्राओं को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया है।

दूसरी ओर, शिवसेना के नेता संजय निरूपम ने कहा है कि कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्राओं के लिए जो ड्रेस कोड निर्धारित किया है उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी जानबूझकर इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि छात्राएं अश्लील कपड़े, बुर्का और नकाब पहनकर न आएं। इस आदेश में छात्रों को कहा गया है कि वे टोपी या धार्मिक चिन्ह वाले कपड़े न पहनें। इस आदेश में बिना बाजू की कमीज, छोटे टॉप्स, जर्सी और शरीर से चिपके हुए कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लड़कियों को यह आदेश दिया गया है कि वे कॉलेज परिसर में दाखिल होने से पहले बुर्का या नकाब उतार दें। लड़कों के लिए फॉर्मल शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर और जींस पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि वे अपने बाल कटवाकर आएं और दाढ़ी न रखें। लड़कियों को कहा गया है कि वे सलवार-कमीज पहनकर आएं और अपने बालों को बांधकर रखें।

उर्दू टाइम्स (5 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध संविधान में दी गई लिबास की आजादी के अनुरूप नहीं है। संपादकीय में कहा गया है कि कॉलेज के बाहर मुस्लिम छात्राओं का धरना देना उचित है। उनकी मांग है कि बुर्का और नकाब पर लगे प्रतिबंध को वापस लिया जाए। मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि बुर्का और नकाब हमारी पहचान है। यह हमारे मजहब का हिस्सा है। इसे पहनकर आने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले चेंबूर के आचार्य कॉलेज में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में छात्राओं के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। समाचारपत्र ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पक्का करने के लिए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, जो निंदनीय है।

ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादियों द्वारा खून की होली

इंकलाब (16 दिसंबर) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर 'हनुका' त्योहार मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 16 लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त 60 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के अनुसार हमला करने वाले आतंकवादी पिता-पुत्र थे। पुलिस ने 50 वर्षीय आतंकवादी साजिद अकरम को घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया। जबकि उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया आया था। बाद में उसने ऑस्ट्रेलिया में एक यूरोपीय मूल की महिला से शादी कर ली थी। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने दावा किया है कि इन हमलावरों का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से था। इनकी कार से आईएसआईएस का झंडा और साहित्य बरामद हुआ है। ये लोग लंबे समय से आईएसआईएस के संपर्क में थे। इन दोनों आतंकवादियों के पास छह हथियारों के लाइसेंस थे। इन्ही हथियारों से इन्होंने त्योहार मनाने वाले यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इनकी कार से दो बम भी बरामद हुए हैं। इससे साबित होता है कि हमलावर यहूदियों की सामूहिक हत्या करने के उद्देश्य से पूरी तैयारी करके आए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले इन हमलावरों ने गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों में कई बार हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर व्यक्ति को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एटोनियो गुटेरेस ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे भीषण नरसंहार करार दिया है। वहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस घटना को भयावह

आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि "मैं इस भीषण आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलियाई जनता के साथ खड़ा हूं।"

हिंदुस्तान (16 दिसंबर) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने बताया कि 50 वर्षीय साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर भारत से ऑस्ट्रेलिया आया था। जबकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। इन्हें 2015 में हथियार रखने का लाइसेंस दिया गया था। उनके पास छह हथियार थे। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर माल लैन्योन ने कहा कि हम इन दोनों हमलावरों के आतंकवादी संपर्कों के बारे में बारिकी से जांच कर रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि हमलावर इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि कुछ अतिवादी लोग देश में यहूदी विरोधी माहौल को हवा दे रहे हैं। हम यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

अवधनामा (16 दिसंबर) के अनुसार इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हथियारों के लाइसेंस जारी करने की नीति पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि हथियार रखने वालों की पृष्ठभूमि की बारिकी से जांच की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने व्हाइट हाउस में क्रिसमस त्योहार मनाने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। अमेरिका में त्योहार मनाने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चिंता प्रकट की कि विश्व में यहूदियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से नफरत की भावना भड़काई जा रही है।

एक अन्य समाचार के अनुसार बॉन्डी बीच पर हमला करने से कुछ सप्ताह पहले ये दोनों हमलावर फिलीपींस गए थे। वहां पर उन्होंने आईएसआईएस के आतंकवादियों से मुलाकात की थी। इन दोनों पिता पुत्र ने वहां पर आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण लिया था। फिलीपींस सरकार इनकी यात्रा के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक ने पुष्टि की है कि इन हमलावरों ने कुछ इस्लामिक आतंकवादियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस लंबे समय से फिलीपींस में सक्रिय है। इस आतंकवादी संगठन ने फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र में कई अड्डे स्थापित कर रखे हैं। 2017 में आईएसआईएस ने फिलीपींस के मारावी शहर पर कब्जा कर लिया था। इस शहर को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ पांच महीने का लंबा अभियान चलाया था। इस कार्रवाई में लगभग एक हजार आतंकवादी मारे गए थे। उन्होंने कहा

कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी फिलीपींस के कई क्षेत्रों में अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि सेना को आईएसआईएस के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

एतेमाद (17 दिसंबर) के अनुसार तेलंगाना पुलिस ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार करने वाला 50 वर्षीय साजिद अकरम का संबंध हैदराबाद से है। तेलंगाना पुलिस ने दावा किया है कि अकरम 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, लेकिन अभी तक वह भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। उसने हैदराबाद से बी.कॉम की पढ़ाई की थी। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि 1998 में ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद साजिद अकरम ने छह बार भारत की यात्रा की थी।

सियासत (17 दिसंबर) के अनुसार फिलीपींस के आव्रजन विभाग ने पुष्टि की है कि साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपींस का दौरा किया था। जबकि उसके बेटे नवीद के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था। ये दोनों पिता-पुत्र 1 नवंबर 2025 को सिडनी से फिलीपींस गए थे और 28 नवंबर 2025 को वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। बताया जाता है कि इन दोनों आतंकवादियों ने फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में स्थित आईएसआईएस के गुप्त प्रशिक्षण शिविरों में हथियार चलाने और बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। ताजा समाचारों के अनुसार अस्पताल में भर्ती नवीद अकरम कोमा से बाहर आ गया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे विस्तृत पूछताछ कर रही हैं ताकि इस पूरी घटना का पता लगाया जा सके।

उर्दू टाइम्स (15 दिसंबर) के अनुसार एक अज्ञात हमलावर ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में दो छात्रों की मौत हो गई और लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब छात्र परीक्षा दे रहे थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं।

सियासत (5 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी पर हमले की साजिश रचने के आरोप में एक पाकिस्तानी मूल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त उसकी कार से एक वीडियो बरामद किया गया है, जिसमें उसने इस्लाम के लिए शहीद होने और इस्लाम के दुश्मनों का सफाया करने की बात कही है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम 25 वर्षीय लुकमान खान है। बाद में एफबीआई ने उसके घर पर छापा मारा। एफबीआई के सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किया गया युवक डेलावेयर यूनिवर्सिटी का ही छात्र है। उसके कब्जे से विश्वविद्यालय का एक नक्शा भी बरामद हुआ है।

इंकलाब (15 दिसंबर) के अनुसार जर्मनी के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जर्मन पुलिस ने पांच मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। ये लोग जर्मनी के दक्षिणी बवेरियन राज्य में स्थित क्रिसमस बाजार में नरसंहार करने की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में तीन मोरक्को,

एक मिस्र और एक सीरिया का नागरिक है। बताया जाता है कि ये पांचों लोग जर्मनी में अवैध तरीके से घुसे थे। उनके कब्जे से बारूद से भरा एक ट्रक भी बरामद हुआ है। ये लोग इस ट्रक को क्रिसमस मनाने वालों की भीड़ में ले जाकर उसमें विस्फोट करना चाहते थे।

आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को 14 साल की जेल

इंकलाब (12 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फैज हमीद पर चार गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया गया था। इनमें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करके देश के हितों को नुकसान पहुंचाने, सरकारी अधिकार और संसाधनों का दुरुपयोग और लोगों को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल थे। उल्लेखनीय है कि फैज हमीद को अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ लगभग 15 महीने तक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली।

पाकिस्तानी पत्रकारों के अनुसार यह मामला अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रास्ते से हटाने की योजना बना रखी है। इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई 2023 को पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए थे उसकी योजना बनाने में फैज हमीद का हाथ बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट ने देश के संविधान में संशोधन करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दिया है। वे पाकिस्तानी सेना के तीनों अंगों के आजीवन प्रमुख रहेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का अधिकार भी दे दिया गया है। अब आसिम मुनीर पाकिस्तान के पांचवें तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इससे पहले जनरल इस्कंदर मिर्जा, जनरल अयूब खान, जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह के रूप में देश की बागडोर संभाल चुके हैं।

पाकिस्तान के निर्माण के बाद से आज तक वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पनप सकी है और हमेशा शासन की बागडोर सेना के हाथ में ही रही है। सेना के विभिन्न गुट अपने विरोधी गुटों का सफाया करते रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने 1951 में लियाकत अली खान की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की थी। इसे 'रावलपिंडी साजिश कांड' कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व मेजर जनरल अकबर खान ने किया था। अकबर खान के तार रूस से जुड़े हुए

थे। इस साजिश केस में 15 लोगों के खिलाफ सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया गया था। इनमें 11 सैन्य अधिकारी और बाकी पाकिस्तान के प्रमुख वामपंथी नेता शामिल थे। इसमें पाकिस्तान के प्रमुख शायर फैज अहमद फैज का नाम भी शामिल था।

समाचारपत्र के अनुसार फैज हमीद 1987 में पाकिस्तान सैन्य अकादमी में शामिल हुए थे। अकादमी से स्नातक होने के बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना की बलूच रेजिमेंट में शामिल किया गया था। हमीद पेशावर के कोर कमांडर भी रहे। 2019 से 2021 तक वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख रहे। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वे तालिबान नेताओं से मुलाकात करने के लिए काबुल गए थे। कहा जाता है कि काबुल में उस समय एक ब्रिटिश महिला पत्रकार भी मौजूद थीं। उन्होंने तालिबान नेताओं के साथ फैज हमीद की गुप्त बैठकों का खुलासा किया था। इसके बाद फैज हमीद को अमेरिका के दबाव पर जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया। हमीद को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। फैज हमीद को पिछले साल 12 अगस्त को हाउसिंग घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आईएसआई के किसी पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया गया।

इससे पहले 28 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त एयर मार्शल जावेद सईद के परिजनों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में आरोप लगाया था कि पिछले साल कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर जावेद सईद को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है। अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तरार ने अदालत को बताया था कि जावेद सईद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और सैन्य अदालत ने उन्हें 14 साल की सजाई सुनाई है। अभी वे सेना की हिरासत में हैं। जावेद सईद मार्च 2021 में एयर मार्शल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और वे पाकिस्तानी सेना के सबसे ज्यादा पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों में शामिल हैं।

इसी तरह से मई 2019 में पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को भी जासूसी के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के एक दर्जन से अधिक उच्चाधिकारियों को विभिन्न आरोपों में जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इन पर सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रचने का अरोप था। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों और सैन्य प्रमुखों की हत्या की साजिश रची गई थी। इस साजिश को 'ऑपरेशन खलीफा' का नाम दिया जाता है। इस मामले में मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसिर बिल्लाह, कर्नल मोहम्मद आजाद मिन्हास और कर्नल इनायतुल्लाह खान समेत पाकिस्तानी सेना के 40 प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आसिम मुनीर का अगला निशाना हो सकते हैं। बाजवा को मुनीर का विरोधी माना जाता है।

ऑस्ट्रिया में स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध

इंकलाब (13 दिसंबर) के अनुसार ऑस्ट्रिया की संसद ने भारी बहुमत से एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के तहत 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इस कानून को देश की सेक्युलर नीति के खिलाफ बताया है। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में भी ऑस्ट्रिया में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में अदालत ने इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। सरकारी प्रवक्ता ने दावा किया है कि संसद ने जिस विधेयक को पारित किया है वह कानूनी दृष्टि से सही है। संसद में विपक्षी दल ग्रीन पार्टी ने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया और इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का हनन बताया। ऑस्ट्रिया की मंत्री क्लाउडिया प्लाकोलम ने कहा है कि हमने यह तय किया है कि हम अपने देश में हिजाब या बुर्का को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगे, क्योंकि यह महिलाओं के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है।

इंकलाब (12 दिसंबर) के अनुसार इस विधेयक पर देश भर में जनमत संग्रह करवाया गया था। 60 प्रतिशत लोगों ने इस विधेयक का समर्थन किया था। सरकार ने इसे अगले साल से लागू करने का फैसला किया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर अभिभावकों को 150-800 यूरो तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस नए कानून से 12 हजार मुस्लिम लड़कियां प्रभावित होंगी।

ब्रिटेन में इस्लाम में धर्मांतरण में भारी वृद्धि

हमारा समाज (8 दिसंबर) के अनुसार ब्रिटिश संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर द इंपैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ (आईआईएफएल) ने दावा किया है कि गाजा पर इजरायली हमले के बाद ब्रिटेन में इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के उत्पीड़न के कारण ब्रिटेन के ईसाइयों में अरबों और इस्लाम के प्रति रुचि में भारी वृद्धि हुई है। आईआईएफएल ने 2774 लोगों का सर्वे किया, जिन्होंने हाल के वर्षों में अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था। सर्वे के अनुसार 20 प्रतिशत लोगों ने फिलिस्तीनियों के उत्पीड़न के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए इस्लाम स्वीकार किया है। जबकि 18 प्रतिशत ने अपने धर्म परिवर्तन का कारण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को बताया है।

इस्लाम स्वीकार करने वालों का कहना है कि उन्होंने सोच-समझकर और गहन अध्ययन के बाद इस्लाम धर्म अपनाया है। ब्रिटेन में ईसाई धर्म तेजी से सिकुड़ रहा है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय आंकड़ा विभाग के अनुसार ब्रिटेन में पिछले एक दशक में ईसाइयों की जनसंख्या में 50 प्रतिशत की गिरावट

आई है। 2021 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में ईसाइयों की जनसंख्या घटकर 46.2 प्रतिशत रह गई है। जबकि 2021 में यह आंकड़ा 59.3 प्रतिशत था।

ब्रिटिश अखबार 'द डेली टेलीग्राफ' के अनुसार ब्रिटेन में मुसलमानों की जनसंख्या में हो रही वृद्धि धार्मिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन का संकेत है। ईस्ट लंदन मस्जिद के प्रबंधकों के अनुसार हर महीने औसतन एक हजार व्यक्ति इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम स्वीकार करने वाले लोगों ने सर्वेक्षकों को बताया कि फिलिस्तीनियों के धैर्य ने उन्हें कुरान पढ़ने पर मजबूर किया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश मीडिया द्वारा गाजा पर इजरायली हमलों की कवरेज ने उन्हें प्रेरित किया कि वे न्याय के पक्ष में खड़े हों और अन्याय का सांकेतिक विरोध करने के लिए इस्लाम स्वीकार करें।

जापान सरकार का कब्रिस्तानों के लिए जमीन देने से इनकार

एतेमाद (4 दिसंबर) के अनुसार जापान सरकार ने मुसलमानों को दफनाने के लिए नई जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार के इस फैसले से जापान में रहने वाले मुसलमानों में चिंता व्याप्त हो गई है। मुस्लिम संगठनों ने बताया कि जापान सरकार के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि जापान में मुसलमानों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस समय जापान में दो लाख से अधिक मुसलमान रह रहे हैं। देश में मुसलमानों की जनसंख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इनमें से अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं। देश में भूमि की कमी को देखते हुए जापान सरकार ने फैसला किया है कि वह भविष्य में मुसलमानों को दफनाने के लिए नई जमीन आवंटित नहीं करेगी।

गौरतलब है कि जापान में पारंपरिक तौर पर शवों को जलाया जाता है। जबकि मुसलमान शवों को दफनाते हैं। अब जापान सरकार के इस फैसले से मुसलमान परेशान हैं। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि मुसलमान अपने रिश्तेदारों के शवों को हवाई जहाजों के जरिए उनके मूल देश में भेजें ताकि उन्हें वहां पर दफनाया जा सके। सरकार के इस फैसले से जापान में रहने वाले गरीब मुस्लिम परिवारों की परेशानियां बढ़ गई हैं। उल्लेखनीय है कि जापान में बुजुर्गों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण वहां के कब्रिस्तानों पर पहले से ही दबाव है। टोक्यो और ओसाका में सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं। मुस्लिम संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या के कारण कब्रस्तानों में शव दफनाने की जगह नहीं बची है, इसलिए नए कब्रिस्तान बनाने के लिए उन्हें जमीन आवंटित की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले का आव्रजन नीतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सऊदी अरब में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव से अमेरिका चिंतित

एतेमाद (16 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब और चीन ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में वांग यी ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में संबंध बढ़ाने से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी पक्ष ने 'वन-चाइना पॉलिसी' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया। जबकि चीनी पक्ष ने सऊदी अरब और ईरान के आपसी संबंधों को विकसित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की ताकि इस क्षेत्र में स्थाई शांति स्थापित हो सके। बताया जाता है कि चीन ने सऊदी अरब और ईरान को रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग देने का आश्वासन दिया है। चीनी पक्ष ने रियाद में आयोजित होने वाले एक्सपो 2030 में भाग लेने की भी इच्छा जताई। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने का समर्थ किया, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो।

एतेमाद (3 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब और रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे देश में आने जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला सऊदी अरब और रूस के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किया गया है। दोनों देश निवेश को बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। इसके लिए रूस के सहयोग से सऊदी अरब में कूटनीतिक महत्व के उद्योगों की स्थापना की जाएगी। जबकि सऊदी अरब भी रूस में निवेश करेगा। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार यह समझौता रियाद में सऊदी-रूसी निवेश और व्यापार मंच की बैठक के दौरान हुआ। इस समझौते पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस

फैसल बिन फरहान और रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान भी मौजूद थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के पासपोर्ट धारकों को पर्यटन, व्यापार या आर्थिक उद्देश्य से एक दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। दोनों देशों के पासपोर्ट धारक 90 दिनों तक बिना वीजा के एक दूसरे देश में रह सकेंगे।

अवधनामा (16 दिसंबर) के अनुसार पिछले कुछ सालों में रूस और चीन के साथ सऊदी अरब के संबंध घनिष्ठ हुए हैं। इसके कारण अमेरिका की परेशानियां बढ़ गई हैं। सऊदी अरब और चीन के संबंधों की शुरुआत 1990 में हुई थी। तब सऊदी अरब के नेताओं ने चीन का दौरा किया था। जनवरी 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद दिसंबर 2022 में वे चीन-खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सऊदी अरब गए थे। दोनों देश तकनीक, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहा है।

समाचारपत्र का कहना है कि सऊदी अरब तेल से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। वह विजन 2030 के तहत विदेशी पूंजी निवेश और तकनीक का हस्तांतरण चाहता है। सऊदी अरब पश्चिमी देशों के बजाय पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका इसे चुनौती के रूप में देखता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ रूस और चीन के बढ़ते रिश्तों के कारण उसकी सुरक्षा, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक देश है। चीन अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 18 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब से आयात करता है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंधों में नए युग की शुरुआत हुई है। सऊदी अरब में तीन दर्जन से अधिक चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। सऊदी अरब ने चीन को शिंजियांग और हांगकांग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के मामले पर पूरा सहयोग दिया है।

दूसरी ओर, चीन ने जमाल खशोगी की हत्या, यमन युद्ध या सऊदी अरब में मानवाधिकारों के हनन के बारे में कभी भी नकारात्मक नीति नहीं अपनाई। चीन रक्षा और सैन्य तकनीक के मामले में भी सऊदी अरब को सहयोग देने का प्रयास कर रहा है। इसके कारण रक्षा क्षेत्र में सऊदी अरब की अमेरिका पर निर्भरता दिन-प्रतिदिन कम हो रही है। हाल ही में सऊदी अरब ने चीन से काफी मात्रा में ड्रोन और मिसाइल खरीदे हैं, जो अमेरिका के प्रभाव के लिए एक गंभीर खतरा है। अब चीन का यह प्रयास है कि सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युवान में उसके साथ व्यापार करे। अगर चीन का यह प्रयास सफल होता है तो इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा।

यमन में फिर भड़की गृहयुद्ध की ज्वाला

इंकलाब (14 दिसंबर) के अनुसार यमन में एक बार फिर से गृहयुद्ध की ज्वाला भड़क उठी है। पूर्वी यमन के हद्रमौत इलाके में हूती विद्रोहियों के हमले में 32 सरकारी सैनिक मारे गए हैं। यमनी सेना के प्रमुख ने सरकारी न्यूज एजेंसी 'सबा' से बातचीत में आरोप लगाया कि हूती विद्रोहियों के हमले में कम-से-कम 32 सरकारी सैनिक मारे गए हैं और 50 से अधिक घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई सैनिक लापता हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हूती विद्रोही अंतरराष्ट्रीय युद्धविराम संधि का उल्लंघन करके तेल के भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं। हाल ही में युद्धविराम संधि को लागू करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का एक संयुक्त सैन्य प्रतिनिधिमंडल अदन पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने यमन के दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (एसटीसी) के नेता ऐदारस अल-जौबैदी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने जोर दिया कि गृहयुद्ध की ज्वाला को भड़कने से रोका जाए।

उर्दू टाइम्स (12 दिसंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात समर्थित एसटीसी ने देश के पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों हद्रमौत और अल-महारा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि एसटीसी दक्षिणी यमन को यमन से अलग करके वहां पर एक स्वायत्त सरकार स्थापित करना चाहता है। संयुक्त अरब अमीरात इसे राजनीतिक और सैन्य समर्थन उपलब्ध करा रहा है। इस पृथकतावादी मिलिशिया का गठन 2017 में किया गया था। 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी साना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (पीएलसी) को यमन छोड़कर सऊदी अरब भागना पड़ा था। तब से यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार सऊदी अरब से ही काम कर रही है। एक साल तक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस सरकार का समर्थन किया। इसके बाद यमन दो भागों में विभाजित हो गया। यमन का उत्तरी क्षेत्र हूतियों के नियंत्रण में है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र पर एसटीसी का कब्जा है।

इस महीने की शुरुआत में एसटीसी ने अचानक यमन की सबसे बड़ी तेल उत्पादक

कंपनी पर कब्जा कर लिया। अभी तक इस क्षेत्र पर सऊदी समर्थक सरकार पीएलसी का नियंत्रण था। एसटीसी ने अदन स्थित राष्ट्रपति भवन को अपने नियंत्रण में लेकर वहां से सरकार का संचालन करना शुरू किया है। अब इस क्षेत्र की तेल संपदा को लेकर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सरकार में ठन गई है। दोनों देश यमन के अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं।

चट्टान (13 दिसंबर) के अनुसार एसटीसी ने पिछले सप्ताह युद्धविराम का उल्लंघन करके यमन के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के कई शहरों और तेल के भंडारों पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र अभी तक सऊदी अरब समर्थक सरकार पीएलसी के नियंत्रण में थे। 2022 में हुए युद्धविराम समझौते के बाद इस मोर्चे पर शांति थी, लेकिन अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यमन के तेल उत्पादक क्षेत्रों पर कब्जा करने की होड़ के कारण गृहयुद्ध की ज्वाला फिर से भड़क उठी है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य ब्रॉडकास्टर्स इस मामले को अपने-अपने तरीके से कवर किया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संचालित 'स्काई न्यूज अरबिया' ने एसटीसी के नेता मंसूर सालेह का एक साक्षात्कार प्रसारित किया है। इस साक्षात्कार में सालेह ने दावा किया है कि सऊदी अरब की सेना ने जानबूझकर अदन क्षेत्र को खाली किया है। यह एसटीसी के हित में नहीं है।

दूसरी ओर, सऊदी अरब द्वारा संचालित 'अल अरबिया' ने आरोप लगाया है कि संयुक्त अरब अमीरात युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करके यमन के तेल उत्पादक क्षेत्रों पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इस चैनल ने पीएलसी के अध्यक्ष रशद अल-अलीमी का एक साक्षात्कार प्रसारित किया है। इस साक्षात्कार में अल-अलीमी ने आरोप लगाया है कि संयुक्त अरब अमीरात यमन में सऊदी अरब के हितों को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। यमन के ताजा विवाद से यह साफ हो गया है कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। सूडान, यमन और अन्य देशों के विवादों में भी इन दोनों देशों की राय एक दूसरे के विपरीत है। दोनों देश अफ्रीकी देशों में अपने प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। सऊदी अरब का प्रयास है कि वह अफ्रीकी देशों में पूंजी निवेश करके अपना आर्थिक विस्तार करे। जबकि संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीका और लाल सागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया था। इसे लेकर भी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव बढ़ा है। सऊदी अरब तेल के उत्पादन में कटौती करना चाहता है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात इस फैसले के खिलाफ है। अल-यासत इलाके को समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित करने को लेकर भी दोनों देशों में गंभीर मतभेद है। मार्च 2024 में सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात

द्वारा यल-यासत इलाके को समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आपत्ति दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात इस क्षेत्र को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। उसने 2005 और 2019 में आदेश जारी करके अल-यासत को समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। जबकि सऊदी अरब इस क्षेत्र को अपनी समुद्री सीमा और संप्रभुता का हिस्सा मानता है।

ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की गिरफ्तारी

उर्दू टाइम्स (14 दिसंबर) के अनुसार ईरान सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। नरगिस मोहम्मदी के पति ने आरोप लगाया है कि उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वे तेहरान से 680 किलोमीटर दूर मशहद में मानवाधिकार वकील खोसरो अली कोर्दी की शोक सभा में हिस्सा लेने के लिए गई थीं। हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में अली कोर्दी की मौत हो गई थी। ईरान सरकार ने उनकी मृत्यु को आत्महत्या करार दिया है। जबकि उनके परिवार और नरगिस मोहम्मदी का दावा है कि पुलिस प्रताड़ना से उनकी मौत हुई है। 53 वर्षीय मोहम्मदी को ईरान सरकार का विरोधी माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईरान सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लेकर उनकी हत्या कर रही है। 2021 में उन्हें सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें 13 साल और नौ महीने की सजा सुनाई गई थी। उन्हें तेहरान की बदनाम एविन जेल में रखा गया था।

जेल में रहते हुए उन्होंने 2022 में हुए हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन किया था। दिसंबर 2024 में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अस्थाई तौर पर रिहा किया गया था। जेल में रहते हुए 2023 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरगिस मोहम्मदी के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि ईरानी सेना ने सरकार विरोधी 12 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। जबकि ईरान सरकार का दावा है कि इनकी हत्या में सरकारी एजेंसियों का कोई हाथ नहीं है। ईरान के 80 वकीलों ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र को एक ज्ञापन भेजकर मांग की है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रहस्यमयी मौत की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।

सीरिया द्वारा इजरायल को धमकी

सियासत (8 दिसंबर) के अनुसार सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने आरोप लगाया है कि इजरायल सीरिया में फिर से युद्ध की ज्वाला भड़काना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम इजरायल के साथ 1974 में हुए शांति समझौते का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उसने दक्षिणी सीरिया में सुरक्षा जोन बनाने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने 8 दिसंबर 2024 से अब तक सीरिया पर एक हजार से अधिक हवाई हमले किए हैं और 400 से अधिक बार जमीनी सैन्य घुसपैठ की है। उन्होंने इजरायल को चेतावनी दी कि वह इस क्षेत्र में युद्ध की ज्वाला भड़काने से बाज आए। उन्होंने मांग की कि इजरायली सेना 8 दिसंबर 2024 से पहली वाली स्थिति में आ जाए। अगर इजरायल इस प्रस्ताव को नहीं मानता तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अल-शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से अनुरोध किया कि वे इजरायल को सीरिया के साथ 1974 में हुए शांति समझौते पर अमल करने का दबाव डाले।

इंकलाब (16 दिसंबर) के अनुसार सीरिया के पालमीरा क्षेत्र में एक अज्ञात हमलावर ने सीरियाई और अमेरिकी सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में दो अमेरिकी सैनिक और एक अनुवादक मारा गया। इस हमले में तीन अन्य अमेरिकी सैनिक और दो सीरियाई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के समय अमेरिकी और सीरियाई सैनिक गश्त कर रहे थे।

एतेमाद (15 दिसंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमलावर का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से बताया जाता है। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि यह हमला सीरिया के ऐतिहासिक शहर पालमीरा में हुआ है। यह क्षेत्र आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जवाबी कार्रवाई में इस हमलावर को मार गिराया गया है। उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से अपील की कि वे इस संबंख में सख्त कार्रवाई करें।

इंकलाब (16 दिसंबर) के अनुसार सीरिया सरकार ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सीरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमलावर का संबंध आईएसआईएस से पाया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि हमें अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दुख है, लेकिन वह क्षेत्र पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि उस क्षेत्र में आईसआईएस के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया गया है।

सऊदी अरब में 170 पाकिस्तानियों को फांसी

उर्दू टाइम्स (12 दिसंबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जाहिद गिशकोरी ने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में सऊदी अरब में आपराधिक मामलों में पाकिस्तानी सबसे ऊपर रहे हैं। देश में ज्यादातर मुकदमे पाकिस्तानियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, इसलिए सऊदी अरब में मौत की सजा पाने वालों में सबसे अधिक पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी सरकार 2014 से अब तक 170 पाकिस्तानियों को मौत की सजा दे चुकी है। इन पर हत्या, बलात्कार और मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। गिशकोरी ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है।

जाहिद गिशकोरी ने कहा कि 2024 में सऊदी अरब में 21 पाकिस्तानी कैदियों को फांसी दी गई थी। जबकि 2014 में 12, 2015 में 14, 2016 में 5, 2017 में 13, 2018 में 18 और 2019 में एक पाकिस्तानी नागरिक को मौत की सजा दी गई। ये सजाएं अलग-अलग मामलों में दी गई थी। जबकि इस साल तीन पाकिस्तानियों को फांसी की सजा दी गई है। सात हजार से अधिक पाकिस्तानी विभिन्न आरोपों में सऊदी जेलों में बंद हैं। इनमें 22 महिलाएं भी शामिल हैं। सऊदी जेलों में बंद पाकिस्तानियों कैदियों में से 28 को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। जाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार और सऊदी अरब स्थित पाकिस्तानी दूतावास पाकिस्तानियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। यही कारण है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को फांसी दी जाती है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब में भेड़ और बकरियां चुराने के आरोप में 13 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी सरकार ने इन आरोपियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब में चोरी को एक गंभीर अपराध माना जाता है। यहां तक कि चोरों के हाथ भी काट दिए जाते हैं। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

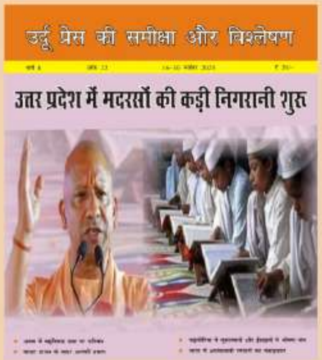

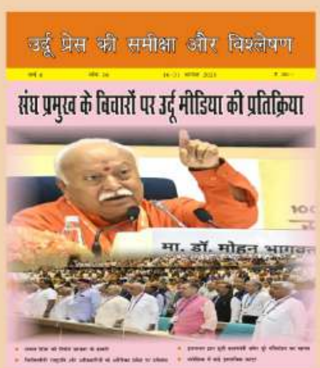

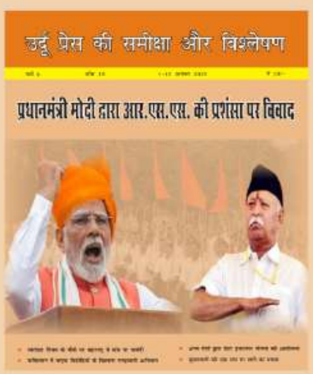

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in